मदन सिंह

बनाम

बिहार राज्य

2 अप्रेल 2004

दोरैस्वामी राजू और अरिजीत पसायत, जे.जे.

दंड संहिता,186 - धारा 149, 302, 307, 352 और 379-आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 - धारा 3 और 19 - शस्त्र अधिनियम, 1959 - धारा 27 - पुलिस से लूटे गये हथियारों और गोलाबारूद के साथ चरमपंथियों का जमावडा एक विशेष स्थान पर और अपने विरोधियों पर हमला कर उन्हें मारने की योजना बना रहे थे - पुलिस दल द्वारा छापेमारी के कारण दोनों ओर से गोलीबारी हुई - परिणामस्वरूप पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो गई, अन्य घायल हुए और तीन चरमपंथी भी मारे गये - हथियार, गोलाबारूद, कई दस्तावेज, फाईले प्रतिबंधित संगठनों के संबंध में पत्र घटनास्थल से जब्त किये गये - आरोपियों पर आरोप है कि वे सिंगाडा की कटाई के लिए इकट्ठे हुए थे और उच्च जाति के लोगों द्वारा हमले की आशंका थी - भा.दं.सं. शस्त्र अधिनियम और आ.वी.ग.अ. के तहत दोषसिद्धी और सजा - का औचित्य - आयोजित - जब्त की गई साक्ष्य और सामग्री स्थापित करते हैं कि

सामान्य अग्रसरण के उद्देश्य में किये गये आपराधिक कृत्य जैसे कि धारा 149 सही ढंग से लागू की गई - जब्त किये गये साहित्य से दर्शित है कि आरोपीगण टाडा की धारा 3 के अंतर्गत गतिविधियों में सम्मिलित थे - दोषसिद्धी और सजा उचित है।

दण्ड संहिता 1860 - धारा 149 - गैर कानूनी सभा के सदस्यों का संयुक्त दायित्व तय करने की प्रयोज्यता - सामान्य सिद्धांत - चर्चा की गई।

शब्दों और वाक्यांशों:

आतंकवाद - आतंकवादी विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 3 के संदर्भ में इसका अर्थ।

आंतकवाद - अर्थ - चर्चा एवं व्याख्या।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस थाना व प्रभारी अधिकारी को अपने विरोधियों पर हमला करने और उन्हें मारने की योजना के साथ आरोपी संख्या 05 के घर में चरमपंथियों के जमावडे के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, प्रभारी अधिकारी ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ एक छापेमारी दल का गठन किया। घर पहुंचने पर उन्हें 20-25 लोग दिखे। आरोपी, एवन ने दूसरों को पुलिस दल को मारने के लिए राईफल और कारबाईन लाने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हो गई। प्रभारी अधिकारी की मौके पर मृत्यु हो गई और अन्य पुलिस दल घायल हो गये और तीन चरमपंथी की भी मृत्यु हो गई जब

आरोपी भागने लगे तो उनमें से कुछ को पकड लिया गया। आरोपी 05 के घर पर तलाशी ली गई और प्रतिबंधित सगठनों से संबंधित हथियार, गोलाबरूद, दस्तावेज, फाईलें, पत्र जब्त किये गये। सत्र न्यायाधीश - सहविशेष न्यायाधीश टाडा ने अपीलकर्ता अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 302 और 307 सपठित धारा 149 और धारा 352 और 379 भा.दं.सं., शस्त्र अधिनियम की धारा 27 और आतंकवादी विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 3 (2)(आई) के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अतः वर्तमान अपील दायर हुई।

अपीलकर्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि आरोपीगण पर आतंकवादी और चरमपंथी और टाडा एक्ट की धारा 3(1) के अंतर्गत गतिविधियों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है: यह दर्शित नहीं है कि सभा का कोई अपराध करने के लिए कोई सामान्य उद्देश्य का या सभा के किसी भी सदस्य को यह जानकारी थी कि अपराध होने की संभावना है इसलिए धारा 149 भा.दं.सं. का कोई अनुप्रयोग नहीं है: मारे गये चरमपंथी मृतकों की हत्या और पुलिस कानि. की चोटों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जब व्यक्तियों को पकडा गया तब कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है किसने बंदूक चलाई थी या गोलीबारी चलाने के लिए कहा गया था और यदि कोई सभा हुई थी तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि वह विधि विरूद्ध थी, आरोपी का निश्चित मामला यह था कि सिंगाडा

काटने को लेकर विवाद हुआ था चूंकि उन्हें उच्च जाति के लोगों से खतरे की आशंका थी इसलिए उनमें से कुछ अपनी सुरक्षा के लिए हथियारबंद हो गये होंगे। ट्रायल कोर्ट ने उस आरोपी को बरी कर दिया जिसके घर में कथित घटना हुई थी और घटना का स्थान और साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।

प्रतिवादी - राज्य ने तर्क दिया कि जब्त की गई सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शित करती है कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजनाबद्ध तैयारी और इरादा था: तथ्यात्मक परिदृश्य सामान्य उद्देश्य के अस्तित्व को दर्शाता है और आरोपीगण इन सब कृत्यों को करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे: यदि जमाव उच्च जाति के लोगों के हमले से बचने के लिए था तो पुलिस के आगमन का स्वागत किया जाता और सामान्य आचरण यह होता कि पुलिसकर्मियों के आगमन पर उन्हें तथाकथित भय के बारे में सूचित किया जाता और उनकी सहायता या सुरक्षा मांगी जाती और उन पर गोलीबारी नहीं की जाती। यह तर्क कि घटनास्थल सिंगाडे के तालाब के पास था गलत है क्योंकि आतंकवादियों के मृत शरीर घर से ही बरामद किये गये थे और टाडा अधिनियम की धारा 3(1) में उल्लेखित कृत्य व्यापक प्रकृति के है और इस प्रकार किये गये कृत्य स्पष्ट रूप से उक्त प्रावधान के अंतर्गत आते हैं।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए,

आयोजित: (1) तत्काल मामले में विधि विरूद्ध सभा का सामान्य उद्देश्य कानून के प्रवृत्तन का विरोध करना था और आपराधिक अपराध करना और आपराधिक बल के उपयोग और प्रदर्शन द्वारा अधिकारियों/लोकसेवकों को भयभीत करना था जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित किया गया है। सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण मंे किये गये अपराध न केवल विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य का हिस्सा थे अपितु ऐसी भी थे जिनके बारे में सभा के सदस्यों को अच्छी तरह से पता था कि ऐसा होने की संभावना है और इस प्रकार, धारा 149 भा.दं.सं. सही ढंग से लागू किया गया है। उच्च जाति के लोगों द्वारा गलत हमले की आशंका के संबंध में बचाव याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा व्यक्ति पुलिस के आगमन का स्वागत करता और अधिकारियों को संभावित खतरे के बारे में बताता और पुलिस अधिकारियों पर गोलीबारी शुरू ही नहीं करता। अधिकारियों ने यह जानते हुए कि वे पुलिस है अवग्या के साथ हिंसक मुद्रा अपना ली। यदि वास्तव में आरोपीगण सिंगाडे की कटाई के लिए इकट्ठे हुए थे जैसा कि दावा किया गया है कि पुलिस पर गोलीबारी शुरू करने के लिए और फिर वास्तविक गोलीबारी करने के लिए चिल्लाने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा जब्त की गई सामग्री से दर्शित होता है कि सभा का उद्देश्य अपराध करने की तैयारी था और सभा की प्रकृति विधि विरूद्ध थी। इसके अलावा जब्त

की गई मुद्रीत सामग्रियों में से एक साहित्य स्पष्ट रूप से गतिविधियों की प्रकृति और गतिविधियों का प्रकार में उनकी भागीदारी को इंगित करता है जो धारा 3(1) टाडा एक्ट के अंतर्गत आते हैं। यह तर्क भी कि घटनास्थल तालाब का पास था जहां सिंगाडे उग रहे थे नहीं माना जा सकता है क्योंकि तीन लोगों के मृत शरीर जिन्होंने पुलिस अधिकारियों पर गोलीबारी की थी, घर से मिले थे और पुलिस अधिकारी का मृत शरीर पास ही पडा मिला था इसके अलावा यह सही नहीं है कि गिरफ्तार किये गये किसी भी व्यक्ति के पास हथियार नहीं थे क्योंकि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने कहा है कि उनके पास भी हथियार थे और इस साक्ष्य का सफलतापूर्वक खंडन नहीं किया गया है।

2.1 विधि विरूद्ध जमाव में मात्र उपस्थिति किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बना सकती जब तक कि कोई सामान्य उद्देश्य न हो और उसने उसे साझा किया हो या उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित हुआ हो जैसा कि भा.दं.सं. की धारा 141 में निर्धारित है। जहां विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य साबित नहीं होता है, वहां आरोपी व्यक्तियों को धारा 149 की मदद से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसे कानून के सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि कथित व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कृत्य साबित नहीं हो जाता, तब तक विधि विरूद्ध सभा का सदस्य नहीं कहा जा सकता। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि उसे

यह समझना चाहिए कि सभा विधि विरूद्ध थी और धारा 141 के दायरे में आने वाले किसी भी कार्य करने की संभावना थी।

2.2 उद्देश्य शब्द का अर्थ उस उद्देश्य या डिजाइन से है जिस सभा के लिए इसकी स्थापना की गई थी और, इसे सामान्य बनाने के लिए, सभा की रचना करने वालों द्वारा साझा किया जाना चाहिए। उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए और इससे सहमत होना चाहिए। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट सहमति से एक सामान्य उद्देश्य का गठन किया जा सकता है, लेकिन यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है। इसका गठन किसी भी स्तर पर सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किया जा सकता है और अन्य लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। एक बार बन जाने के बाद, इसे वैसा ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित या बदला या छोडा जा सकता है।

2.3 धारा 149 में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति ''सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में को कडाई से ''सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए के बराबर समझा जाना चाहिए। उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर इसे तुरंत सामान्य उद्देश्य से जोडा जाना चाहिए। उद्देश्य का समुदाय अवश्य होना चाहिए और उद्देश्य केवल एक निश्चित बिंदु तक ही अस्तित्व में रह सकती है, जिसके बाद उनके उद्देश्य और ज्ञान में भिन्नता हो सकती है। यह न केवल उसके आदेश पर गठन के अनुसार भिन्न हो सकता है, बल्कि उस

सीमा के अनुसार भी भिन्न हो सकता है कि वह उद्देश्य के समुदाय को किस हद तक साझा करता है, और इस प्रकार भा.दं.सं. की धारा 149 का प्रभाव एक ही सभा के विभिन्न सदस्यों पर भी भिन्न हो सकता है।

2.4 ''सामान्य उद्देश्य सामान्य आशय से भिन्न है क्योंकि इसमें हमले से पहले किसी पूर्व नियोजित और सामान्य आशय का होना आवश्यक नहीं है। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक की दृष्टि में एक ही उद्देश्य हो और उनकी संख्या पांच या अधिक हो और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के रूप में कार्य करें। मानव मस्तिष्क में उद्देश्य ग्रहण होता है और यह केवल एक मानसिक दृष्टिकोण है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सकता है। यह कृत्यों और भाषा और इसे बनाने वाले सदस्यों के कथनों और आसपास की सभी परिस्थितियों और उसके परिणाम पर विचार करने से पता लगाया जा सकता है। हालांकि उन परिस्थितियों के बारे में कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता है जिससे सामान्य उद्देश्य को वर्णित किया जा सकता है, सभा की प्रकृति, सदस्यों द्वारा उठाए गए हथियार, और घटना स्थल पर या उसके निकट किये गये व्यवहार को ध्यान में रखा जायेगा।

2.5 कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि विधि विरूद्ध सामान्य उद्देश्य के साथ विधि विरूद्ध जमाव के सभी मामलों में उसे कार्रवाई में तब्दील किया जाये या सफल किया जाये। धारा 141 के स्पष्टीकरण के

तहत, एक सभा जो एकत्रित होने पर विधि विरूद्ध नहीं थी, बाद में विधि विरूद्ध हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी सभा को विधि विरूद्ध बनाने के लिए जो आशय या उद्देश्य आवश्यक है वह प्रारंभ में ही अस्तित्व में आ जाये। विधि विरूद्ध आशय बनाने का समय महत्वपूर्ण नहीं है।

2.6 भा.दं.सं की धारा 149 में दो भाग होते हैं। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किये जाने वाला अपराध ऐसा होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से किया गया हो। अपराध को विधि विरूद्ध सभा के सामान्य उद्देश्य से तुरंत जोडा जाना चाहिए, जिसका आरोपी सदस्य था। भले ही किया गया अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य के सीधे अभियोजन में न हो, फिर भी यह धारा 141 के अंतर्गत आ सकता है। यदि यह माना जा सकता है कि अपराध ऐसा था जैसा कि सदस्यों को पता था कि प्रतिबद्ध होने की संभावना है तो यही धारा के दूसरे भाग के लिए आवश्यक है। यदि सभी सदस्यों द्वारा वांछित उद्देश्य एक ही है, तो यह ज्ञान की यह वह उद्देश्य है जिसका अनुसरण किया जा रहा है, सभी सदस्यांे द्वारा साझा किया जाता है और वे इस बात पर सामान्य सहमति रखते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए और यह अब सभा का सामान्य उद्देश्य है। धारा की दूसरी शाखा में प्रयुक्त शब्द ''जानता था का अर्थ संभावना से कुछ अधिक है और इसे ''पता हो सकता है की भावना से नहीं माना जा सकता है। सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है,

जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया जाता है, तो यह आम तौर पर एक अपराध होगा जिसके बारे में विधि विरूद्ध सभा के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किये जाने की संभावना है। हालांकि, यह विपरीत प्रस्ताव को सत्य नहीं बनाता है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो दूसरे भाग में तो आयेंगे लेकिन पहले भाग में नहीं। प्रत्येक मामले में के दो भागों के बीच अंतर को उपेक्षित या मिटाया नहीं जा सकता है। प्रत्येक प्रकरण में इस बिन्दु का निर्धारण करना होगा।

चिक्कारंगा गौडा और अन्य बनाम मैसूर राज्य, एआईआर (1956) एससी 731, पर निर्भर।

सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2022) 3 एससीसी 327, संदर्भित।

3. हालांकि आतंकवाद को आतंकवादी विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत पृथक से परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु धारा 3 में ही पहचान करने के लिए पर्याप्त संकेत है कि क्या सम्मिलित है और उक्त प्रावधान को लागू करने में अपनाई गई सर्वसमावेशी और व्यापक वाक्यांश को अपनाया गया है जो कि परिभाषित और दंडात्मक प्रावधान के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है परन्तु आतंकवाद की सटीक परिभाषा या आतंकवाद को गठित करना क्या है बताना संभव नहीं है। इसे हिंसा के उपयोग के रूप में वर्णित करना संभव हो सकता है जब

इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम न केवल पीडित की शारीरिक और मानसिक क्षति हो बल्कि इसका दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पूरे समाज पर पडता है या उत्पन्न होने की संभावना होती है। इस प्रक्रिया में मृत्यु, चोट या संपत्ति का विनाश या यहां तक कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ह्आस हो सकता है लेकिन आतंकवादी की गति सीमा और पहुंच देश के सामान्य दंड कानून के तहत दंडित होने में सक्षम एक सामान्य अपराध के प्रभाव से परे है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को भयभीत करना और समाज के सौहार्द को बिगाडना या लोगों, समाज को आंतकित करना है न कि केवल उन लोगों को जो सीधे तौर पर समाज की क्षमता, शांति और शांति को भंग करने और भय और असुरक्षा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से हमला किया गया। यह संक्षेप में सूचना का अनिवार्य व्यवस्थित उपयोग है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 1285/2003।

जी.आर.सी. नंबर 7/1992 में सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद-सह-विशेष न्यायाधीश, टाडा के न्यायालय के दिनांक 04.08.2003 के निर्णय और आदेश से।

साथ में

सी.आर.एल. ए. नंबर 1297/2003

सी.आर.एल. ए. नंबर 1285/2003 में अपीलकर्ता की ओर से श्रीमती अंजना प्रकाश, शिशिर पिनाकी और संजय जैन।

प्रतिवादी की ओर से एच.एल. अग्रवाल, कुमार राजेश सिंह और बी.बी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पासायत जे. द्वारा सुनाया गया।

इस अपील में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में टाडा अधिनियम) की धारा 19 के तहत अपीलकर्ता द्वारा आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 149, 307 सपठित धारा 149, 352, 379 भारतीय दंड संहिता, 1960 (संक्षेप में भा.दं.सं.), शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 (संक्षेप में शस्त्र अधिनियम) और टाडा अधिनियम की धारा 3(2)(आई) में सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद-सह- विशेष न्यायाधीश, टाडा द्वारा की गई दोषसिद्धी को चुनौती दी गई है।

भारतीय दंड संहिता टाडा अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के कथित कृत्य के लिए 20 व्यक्तियों को विचारण का सामाना करना पडा। उनमें से दो (अर्थात् ए-8 और ए-9) की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई। दो अन्य आरोपियों को किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम, 2000 (संक्षेप में किशोर अधिनियम) के तहत किशोर माना गया था। यह माना गया कि वे उक्त अधिनियम के तहत

लाभ के हकदार थे। प्रत्येक दोषी अभियुक्त अपीलकर्ता को भा.दं.स. की धारा 302 सपठित धारा 149 और टाडा अधिनियम की धारा 3(2)(1) के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और साथ में अपराध अंतर्गत धारा 307 सपठित धारा 149 और 353 भा.दं.सं. के लिए सात साल और एक साल की हिरासत की सजा अलग से दी गई थी। भा.दं.सं. की धारा 379 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 से संबंधित अपराध के लिए कोई पृथक से सजा नहीं दी गई थी।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष का विवरण इस प्रकार है:

दिनांक 27.11.1988 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श 4) के अनुसार, अरवल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी श्री रसीद इमाम (बाद में मृतक के रूप में संबोधित) को भदसी गांव में बरी किये गये अभियुक्त वकील राम के घर में उग्रवादियों के जमाव और लूटी गई पुलिस रिवाल्वर और पुलिस से लूटे गये अन्य गोला बारूद की सूचना अरवल पुलिस थाना केस नंबर 174/88 दर्ज कर मिली थी और अपने विरोधियों पर हमला कर उन्हें मारने की उनकी योजना के तहत सब इंस्पेक्टर मोहन सिंह, मुखबिर (अभि. साक्षी 12), सब इंस्पेक्टर गजाधर चैबे (अभि. साक्षी 22), सहायक उप निरीक्षक एस.एन. पांडे (अभि. साक्षी 11), कानि. रामविनय सिंह (अभि. साक्षी 09), कानि. अमूल कुमार सिंह (अभि. साक्षी 10), कानि. मोहम्मद नजीम (अभि. साक्षी 8), कानि. बाबू महतो (अभि.

साक्षी 05) और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ एक छापेमारी दल का गठन किया गया। स्टेशन डायरी में सूचना दर्ज करने के बाद वह भदासी गांव की ओर रवाना हो गये, रास्ते में उनकी मुलाकात एक अन्य पुलिस अधिकारी इरशाद अहमद से हुई जो डीएसपी से मिलने जा रहे थे मृतक ने उनसे इस संबंध में डीएसपी को सूचित करने के लिए कहा था। जहानाबाद पहुंचने पर, हृदयानंद पुरी (अभि. साक्षी 17), बाबू लाल मांझी (अभि. साक्षी 18) और अतिरिक्त दल के लोगों ने आकर उन्हें रिपोर्ट करी। भदासी गांव पहुंचने पर सुबह करीब 11.30 बजे पुलिस दल आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संत प्रकाश (अभि. साक्षी 3) और जीतेंद्र प्रसाद (अभि. साक्षी 4) के साथ बरी किये गये आरोपी वकील राम के घर की ओर बढे। वकील राम के घर पहुंचने पर, मृतक ने घर के गेट पर सब इंस्पेक्टर गजाधर चैधरी के साथ कुछ पुलिसकर्मियों को तैनात किया, और एसएन पांडे के साथ बल का एक और खंड पूर्वी उत्तरी दिशा की ओर भेजा। मृतक ने अन्य लोगों के साथ घर में प्रवेश करने पर वहां 20-25 लोगों को देखा। पुलिस दल को देखकर भदासी (ए-1) के अभियुक्त मुकैया शाह चांद ने अन्य लोगों को राइफल और कार्बाइन लाने और पुलिस दल को मारने का निर्देश दिया। इस पर आरोपियों ने एक कमरे के अंदर जाकर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी के परिणामस्वरूप, कानि. अमूल कुमार सिंह (अभि. साक्षी 10) को शरीर के बाई और गोली लगी। चोट के बावजूद, अमूल

कुमार सिंह (अभि. साक्षी 10) ने एक राउंड फायर किया, लेकिन जमीन पर गिर गया। उग्रवादियों में से एक ने उसकी राइफल छीन ली, जिसे बाबू महतो (अभि साक्षी 05) द्वारा की गई गोलीबारी में गोली लग गई। फिर जब एक उग्रवादी ने राइफल लेकर भागने की कोशिश की तो मृतक ने उसका पीछा कर राइफल छीन ली, लेकिन इसी बीच उग्रवादियों ने फायरिंग कर दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी।

इसी बीच, उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसने एक दरवाजें के पीछे पोजीशन लेकर उग्रवादियों पर गोलीबारी की, उग्रवादियों की गोलीबारी से हृदयानंद पुरी के हाथ में चोट लग गई। इस परिस्थिति का जायजा लेते हुए मुखबिर ने पुलिस दल की जान पर खतरा होने के साथ-साथ गोला बारूद छीनने की आशंका जताते हुए फायरिंग का आदेश दिया, हृदयानंद पुरी द्वारा की गई गोलीबारी में, एक उग्रवादी मारा गया, जिसके बाद बाबू लाल मांझी (अभि. साक्षी 18) ने तीन राउंड फायरिंग की और मोहम्मद नाजिम (अभि. साक्षी 08) ने पांच राउंड फायरिंग की। गोलीबारी के परिणामस्वरूप एक और उग्रवादी मारा गया, पुलिस की गोलीबारी के बाद भी आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी जारी रखी, जिससे पुलिस पार्टी को आगे की गोलीबारी के लिए मजबूर होना पडा, जिससे एक उग्रवादी के पैर में चोट लग गयी और वह भागने लगा। जब आरोपी भागने लगे, उनमें से कुछ लक्ष्मण साव (ए-5) लक्खी चैधरी,

श्यामा चैधरी (ए-7), मदन सिंह (ए-10), अजीत कुमार (ए-6), राम जनम राम (ए-3), नन्हे रजवार (ए-4), मंधु चैधरी (ए-15), महेंद्र चैधरी, शोराई चैधरी (ए-12), बालेश्वर चैधरी (ए-14), अरविंद चैधरी (ए-13) को पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस दल, उन्होंने घर के आंगन के दक्षिण में स्थित एक कमरे से दो बच्चों लीला और चंदन के साथ शांति देवी (ए-8) को भी पकड लिया। इसी बीच अरवल डीएसपी सब-इंस्पेक्टर इरशाद इमाम और अतिरिक्त बल के साथ पहुंचे, यह पता चला कि उग्रवादी गोलीबारी कर भाग रहे थे और उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ उग्रवादियों का हथियार जब्त करने के लिए उनका पीछा किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे।

गवाहों की उपस्थिति में वकील राम के घर की तलाशी लेने पर हथियार, गोला-बारूद, कई दस्तावेज, फाइलें, प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित पत्र, राइफल, कारतूस और कार्बाइन जब्त किये गये। जब्ती सूची की एक प्रति वकील राम के पुत्र रामजनम राम को सौंपी गई, मुखबिर ने त्रिभुवन शर्मा (ए-18), डाॅ. जगदीश (ए-16), अरूण कुमार भारती (ए-17), चुरामन भगत (ए-2) के अलावा शाह चुद मुकैया (ए-1) की पहचान करने का दावा किया जो भाग रहे थे।

जांच के बाद आरोप पत्र पेश किया गया और धारा 302, 307, 353, 379, 411, 324, 326, 414, 124ए के साथ सपठित धारा 34 भा.दं.सं.

और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27 और 35 और टाडा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 व आरोपित अपराध के लिए प्रसंज्ञान लिया गया। धारा 302, 307 सपठित धारा 149 और धारा 353, 379, 124 ए भा.दं.सं. और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 और 4 (संक्षेप में विस्फोटक अधिनियम) और टाडा अधिनियम की धारा 3 (5) के अपराध के लिए आरोप विरचित किये गये। अपने आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा 25 गवाहों को परीक्षित करवाया गया। आरोपी व्यक्तियों द्वारा निर्दोष होना बताया और 05 गवाहों को परीक्षित करवाया। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पश्चात् पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धी और सजा की गई।

अपील के समर्थन में, आपराधिक अपील संख्या 1297/2003 में अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शंति भूषण ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के निर्णय को कई आधारों पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है। प्रथमतः, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि आरोपी व्यक्ति आतंकवादी या उग्रवादी थे या टाडा अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत परिभाषित आतंकवादी कृत्यों के संबंध में किये गये कथित कृत्य या गतिविधियां है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का साक्ष्य इस आशय का है कि गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर गए और फिर उनमें से किसी ने चिल्लाकर कहा कि पुलिस अधिकारी आए हैं और उन्हें

हथियार मिले हैं। उसके बाद, माना जा रहा है कि गोलीबारी दोनों ओर से शुरू हुई थी। 3 लोग मारे गये है जिनके बारे में अभियोजन पक्ष ने आतंकवादी होने का दावा किया था। हो सकता है कि मृतक की हत्या और पुलिस कांस्टेबलों पर लगी चोटों के लिए वे ही जिम्मेदार हो, गवाहों ने स्वीकार किया कि वे आरोपियों को पहले से नहीं जानते थे और गोलीबारी शुरू होने के बाद जब कुछ लोग भाग रहे थे तो उन्हें पकड लिया गया। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वे किसी अपराध के दोषी थे जबकि माना जाता है कि गोलीबारी की आवाज सुनकर बडी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए थे। यह भी रिकार्ॅड में आया है कि जब व्यक्तियों को पकडा गया तो कथित तौर पर भागते समय पकडे गऐ किसी भी व्यक्ति के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था, हालांकि एक गवाह ने कहा है कि भाग रहे व्यक्तियों के पास से कुछ हथियार बरामद किए गये थे। यदि कोई सभा हुई भी तो यह नहीं कहा जा सकता कि भा.दं.सं. की धारा 149 लागू करना विधि विरूद्ध था। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि किसने बंदूक चलाई थी या गोलीबारी शुरू करने के लिए कहा था। शुरू से ही अभियुक्त व्याक्तियों का निश्चित मामला यही था कि सिंगाडा काटने को लेकर विवाद था, जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि उन्होंने यह पता लगाने के लिए कोई जांच नहीं की थी कि क्या लोग एक सिंगाडा काटने के लिए एकत्र हुए थे। कुछ अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा सिंगाडे की फसल उगाने के दस्तावेज पेश

किए गए थे। आरोपी व्यक्तियों ने एक निश्चित रूख अपनाया है कि उन्हें उच्च जाति के लोगों से खतरे की आशंका थी और इसलिए, उनमें से कुछ उच्च जाति के लोगों द्वारा हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सशस्त्र हो सकते हैं। विचारण न्यायालय ने वकील राम को बरी कर दिया है जिसके घर पर कथित घटना घटी। यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि सभी का कोई अपराध करने का कोई सामान्य उद्देश्य था या सभा के किसी भी सदस्य को इस बात की जानकारी थी कि अपराध किये जाने की संभावना है जो लोग कथित तौर पर मौजूद थे उन्हें जब्त किए गए हथियारों की मौजूदगी के बारे में जानकारी नहीं हो सकती थी। इसलिए, भा.दं.सं. की धारा 149 लागू नहीं होती है। घटना का स्थान ठोस साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। बचाव पक्ष का कहना है कि घटना सिंगारा तालाब के पास हुई जो सबूंतों के मध्यनजर अधिक संभावित है। इस पृष्ठभूमि में दोषसिद्धी के अनावश्यक होने का तर्क दिया गया। सी.आर.एल.ए. में क्रमांक 1285/2003 अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा ऐसे ही तर्क दिये गये।

जवाब में, प्रतिवादी राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.एल. अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि सभा एकांत जगह पर हुई थी। जब्त की गई सामग्री से दर्शित होता है कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आशय और योजनाबद्ध तैयारी थी। अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल

किया गया और उन्हें जब्त कर लिया गया। सामान्य उद्देश्य एक स्थान पर विकसित हो सकता है। वास्तविक घटना के समय सामान्य उद्देश्य का अस्तित्व ही देखा जाना है। तथ्यात्मक परिदृश्य स्पष्ट रूप से सामान्य उद्देश्य के अस्तित्व को दर्शाता है। यदि सभा उच्च जाति के लोगों के हमले से सुरक्षा के लिए होती, जैसा कि दावा किया गया है, तो पुलिस के आगमन का स्वागत किया जाता क्योंकि इससे सुरक्षा मिलती। जब गोलीबारी शुरू करने का आह्वान किया गया तो कई लोगों ने हथियार इकट्ठा कर गोलीबारी शुरू कर दी, सभी हथियार घर के अंदर थे और आरोपी व्यक्तियों का यह कहना नहीं है कि कोई उन्हें लेने के लिए बाहर गया था। इसलिए आरोपी व्यक्ति हिंसक कृत्य करने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। यदि वास्तव में उच्च जाति के लोगों द्वारा हमले की कोई आशंका थी, तो सामान्य आचरण यह होता कि पुलिसकर्मियों के पहुंचने पर उनके तथाकथित भय के बारे मे सूचित किया जाता और उनकी सहायता या सुरक्षा मांगी जाती और उन पर गोलीबारी शुरू नहीं की जाती। टाडा अधिनियम की धारा 3(1) में उल्लिखित कृत्य व्यापक प्रकृति के है और इसलिए किए गए कृत्य स्पष्ट रूप से उक्त प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। यह तर्क कि घटनास्थल अलग था और सिंगाडा तालाब के पास था, इस तथ्य से स्पष्ट रूप से खारिज हो गया है कि 3 आतंकवादियों के शव घर से बरामद किए गए थे।

मुख्य तर्क जिस पर जोर दिया गया वह इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या धारा 149 भा.दं.सं. किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किये गये विधि विरूद्ध कृत्यों के लिए सामुदायिक दायित्व पर लागू होगी और विधि विरूद्ध सभा के सदस्यों को उक्त कृत्यों को किये जाने का ज्ञान था जो कि उसके संचालन के लिए अनिवार्य थे। जोर सामान्य उद्देश्य पर है न कि सामान्य आशय पर। किसी विधि विरूद्ध जमाव में मात्र उपस्थिति किसी व्यक्ति को तब तक उत्तरदायी नहीं बना सकती जब तक कि वहां एक सामान्य उद्देश्य न हो और उसने उसे साझा किया हो या उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित हो और वह उद्देश्य धारा 141 में निर्धारिरत उद्देश्यों में से एक हो। जहां एक विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य साबित नहीं हुआ, आरोपी व्यक्तियों को धारा 149 की मदद से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह निर्धारित कररने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सभा में पांच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों का ग्रहण किया था, जैसा कि धारा 141 में निर्दिष्ट है। इसे कानून के सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जब तक किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कृत्य साबित नहीं हो जाता, जिस पर विधि विरूद्ध सभा का सदस्य होने का आरोप है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी सभा का सदस्य है। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि उसे यह समझना चाहिए कि सभा विधि

विरूद्ध थी और धारा 141 के दायरे में आने वाले किसी भी कृत्य को करने की संभावना थी। उद्देश्य शब्द का अर्थ है उद्देश्य या डिजाइन और, इसे सामान्य बनाने के लिए इसे सभी द्वारा साझा करना चाहिए। दूसरे शब्दों में उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए सामान्य होना चाहिए, जिन्होंने सभा का गठन किया है अर्थात् उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए और इससे सहमत होना चाहिए। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट सहमति से एक सामान्य उद्देश्य बनाया जा सकता है, लेकिन यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है। इसका गठन किसी भी स्तर पर सभा के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा निर्मित होना चाहिए और अन्य सदस्य इसमें जुड अथवा अंगीकृत कर सकते हैं। एक बार बन जाने के बाद, इसे वैसा ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित या बदला जा सकता है या छोडा जा सकता है। धारा 149 में प्रकट होने वाली अभिव्यक्ति सामान्य उद्देश्य के अभियोजन को सख्ती से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए के बराबर माना जाना चाहिए। उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर इसे तुरंत सामान्य उद्देश्य से जोडा जाना चाहिए। उद्देश्य का समुदाय अवश्य होना चाहिए और उद्देश्य केवल एक विशेष स्तर तक ही अस्तित्व में रह सकता है, उसके बाद नहीं। विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों के पास कुछ बिंदु तक उद्देश्य का समुदाय हो सकता है जिसके बाद वे अपने उद्देश्यों में भिन्न हो सकते हैं और प्रत्येक सदस्य के पास उनके सामान्य उद्देश्य के

अभियोजन में किए जाने वाले ज्ञान के अनुसार न केवल भिन्नता हो सकती है बल्कि सूचना उसके आदेश पर भी हो सकती है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह उद्देश्य के समुदायों को किस हद तक साझा करता है और इसके परिणामस्वरूप भा.दं.सं. की धारा 149 का प्रभाव भी एक ही सभा के विभिन्न सदस्यों पर भिन्न हो सकता है।

सामान्य उद्देश्य सामान्य आशय से भिन्न होता है क्योंकि इसमें हमले से पहले किसी पूर्व मति और मति के सामान्य होने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि प्रत्येक की दृष्टि में एक ही उद्देश्य है और उनकी संख्या पांच या अधिक है और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के रूप में कार्य करते है, तो यह पर्याप्त है। किसी सभा का सामान्य उद्देश्य सदस्यों के कृत्यों, भाषा और कथनों, उनके द्वारा उठाए गए हथियारों की प्रकृति और आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसे वास्तविक संघर्ष के समय या उससे पहले सभा के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण और व्यवहार से भी एकत्र किया जा सकता है। घटना के एक विशेष चरण में विधि विरूद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या है, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है जिसे जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा उठाये गये हथियार और घटनास्थल पर और आसपास सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। कानून के तहत किसी सदस्य के व्यवहार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि

विधि विरूद्ध सभा के सभी मामलों में विधि विरूद्ध सामान्य उद्देश्य में यह उनके कृत्यों के रूप में परिवर्तित हो या सफल हो। धारा 141 के स्पष्टीकरण के तहत, एक सभा विधि विरूद्ध नहीं थी जब वह गठित नहीं हुई थी, बाद में विधि विरूद्ध हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि आशय या उद्देश्य जो किसी सभा को विधि विरूद्ध बनाने के लिए आवश्यक है, प्रारंभ में ही अस्तित्व में आ जाए। विधि विरूद्ध आशया बनाने का समय महत्वपूर्ण नहीं है। कोई सभा, जो प्रारंभ में या उसके कुछ समय के लिए भी वैध है, बाद में विधि विरूद्ध हो सकती है। दूसरे शब्दों में यह घटना के दौरान घटनास्थल पर विकसित हो सकता है।

भा.दं.सं. की धारा 149 में दो भाग होते हैं। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला अपराध ऐसा होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से किया गया हो। अपराध को पहले भाग के अंतर्गत आने के लिए, अपराध को विधि विरूद्ध सभा के सामान्य उद्देश्य से तुरंत जोडा जाना चाहिए, जिसका आरोपी सदस्य था। भले ही किया गया अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य के सीधे अभियोजन में न हो, फिर भी यह धारा 141 के अंतर्गत आ सकता है, यदि यह माना जा सकता है कि अपराध ऐसा था जैसा सदस्यों को पता था कि ऐसा होने की संभावना है और यही धारा के दूसरे भाग में आवश्यक है। सभा के सदस्य जिस उद्देश्य के लिए प्रस्थान करते हैं या प्राप्त करना चाहते

हैं वह उद्देश्य है। यदि सभी सदस्यों द्वारा वांछित उद्देश्य एक ही है, तो जिस उद्देश्य का अनुसरण किया जा रहा है उसका ज्ञान सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है और वे इस बात पर आम सहमति रखते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए तब यह सभा का सामान्य उद्देश्य है। एक उद्देश्य को मानव मस्तिष्क में ग्रहण किया जाता है, और यह केवल एक मानसिक दृष्टिकोण है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है और, आशय की तरह आम तौर पर व्यक्ति द्वारा किये गये कृत्यों और उसके परिणामस्वरूप एकत्र हो सकता है हालांकि उन परिस्थितियों के बारे में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता है जिनसे सामान्य उद्देश्य को आहूत किया जा सकता है, इसे उचित रूप से सभा की प्रकृति, उसके पास मौजूद हथियारों और घटनास्थल पर या उससे पहले या बाद में व्यवहार से एकत्र किया जा सकता है। अनुभाग की दूसरी शाखा में प्रयुक्त शब्द जानता था का अर्थ संभावना से अधिक कुछ है और इसे ज्ञात हो सकता था का अर्थ धारण नहीं कराया जा सकता। सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया जाता है, तो यह आम तौर पर एक अपराध होगा जिसके बारे में विधि विरूद्ध सभा के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है। हालांकि, वह विपरीत प्रस्ताव को सत्य नहीं बनाता है, ऐसे मामले हो सकते हैं जो दूसरे भाग में आयेंगे लेकिन पहले भाग में नहीं। धारा 149 भा.दं.सं. के दोनों

भागों के बीच के अंतर को नजरअंदाज या खत्म नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में यह निर्धारित कररने का मुद्दा होगा कि क्या किया गया अपराध पहले भाग के अंतर्गत आता है या यह अपराध था जैसे कि सभा के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में प्रतिबद्ध होने की संभावना है और यह दूसरे भाग के अंतर्गत आता है। हालांकि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध के रूप में पहले भाग के अंतर्गत आते हैं, जबकि साथ ही, हालांकि हमेशा दूसरे भाग के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे अपराध के रूप में आते हैं जिनके बारे में विधि विरूद्ध सभा के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में लगे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है और इसे क्रियान्वित करने के उद्देश्य से कार्य करने की संभावना है। (देखे चिक्कारांगे गौडा और अन्य बनाम मैसूर राज्य, एआईआर(1956) एससी 731)

जैसा कि इस न्यायालय ने सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में उल्लेख किया है, (2002) 3 एससीसी 327 धारा 149 के संदर्भ में सामान्य उद्देश्य मौके पर विकसित हो सकती है। उद्देश्य के अस्तित्व पर वास्तविक घटना के समय ही विचार किया जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि यह पूर्ववर्ती समय से हो।

जब उपर बताई गई कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में तथ्यात्मक परिदृश्य पर विचार किया जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह निकलता है

कि धारा 149 को सही ढंग से लागू किया गया है। तथ्य यह है कि विधि विरूद्ध सभा का सामान्य उद्देश्य कानून के प्रवर्तन का विरोध करना था, तथा आपराधिक अपराध करना और आपराधिक बल के उपयोग और प्रदर्शन द्वारा अधिकारियों/लोक सेवकों को डराना था, जिसे रिकार्ॅड पर मौजूद साक्ष्यों से मजबूती से स्थापित किया गया था। परिणामस्वरूप सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए गए आपराधिक कृत्य, जो विधि विरूद्ध सभा के सामान्य उद्देश्य के कृत्यों का हिस्सा नहीं थे लेकिन सभा के सदस्यों को यह ज्ञान था कि ऐसे अपराध किए जाने की संभावना है, जो पूरी तरह से धारा 149 भा.दं.सं. को आकर्षित करते हैं। कुछ प्रमुख तथ्यात्मक पहलू अभियोजन कहानी के संस्करण को स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं। प्रथमतः ऊँची जाति के लोगों द्वारा कथित हमले की आशंका के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा लिया गया तर्क में कोई दम नहीं पाया गया। यदि वास्तव में आरोपीगण सिंगाडे की फसल काटने के लिए एकत्रित हुए थे जैसा कि दावा किया गया है तो पुलिस पर गोलीबारी शुरू करने और फिर वास्तविक गोलीबारी करने के लिए पुकारने का कोई कारण नहीं था। जिस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमले की आशंका है, वह पुलिस के आगमन का स्वागत करेगा और अधिकारियों को आशांकित खतरे के बारे में बताएगा, न कि पुलिस अधिकारियों पर यह जानकार गोलीबारी शुरू कर देगा कि वे पुलिस हैं और अवज्ञा के साथ हिंसक मुद्रा अपनायेंगे। यह

स्वयं सभा का उद्देश्य और प्रकृति के बारे में बचाव पक्ष के संस्करण को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा जब्त की गई सामग्री से दर्शित होता है कि सभा का उद्देश्य अपराध करने की तैयारी था। भारी मात्रा में हथियारों की मौजूदगी और वह भी अत्याधुनिक हथियार, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सभा की प्रकृति विधि विरूद्ध थी। जब्त की गई मुद्रित सामग्रियों में से एक यानी साहित्य स्पष्ट रूप से प्रकृति और प्रकार में उनकी भागीदारी को इंगित करता है जो कि टाडा अधिनियम की धारा 3 (1) में परिकल्पित और उल्लेखित किये गये हैं। यह तर्क कि घटनास्थल अलग था और तालाब के पास था जहां सिंगाडे उगाए गये थे, भी निराधार है। पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाने वाले तीन लोगों के शव घर में पाए गए, जो बरी किए गए आरोपी वकील राम के बताए जा रहे हैं और मृतक का शव भी पास में ही था। घायल पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य भी प्रासंगिक हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे आरोपी व्यक्तियों को झूठा क्यों फंसायेंगे। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क सही नहीं है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति के पास हथियार नहीं थे। वास्तव में, अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने कथन किया है कि उनके पास हथियार भी थे, और इस साक्ष्य का सफलतापूर्वक खंडन नहीं किया गया है।

एक आतंकवादी गतिविधि केवल कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था में गडबडी पैदा करने से उत्पन्न नहीं होती है। इच्छित गतिविधि का नतीजा यह होता है कि यह सामान्य दंड कानून के तहत इससे निपटने के लिए सामान्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता से परे हो जाती है। यह मूलतः जबरदस्ती डराने-धमकाने का एक जानबूझकर और व्यवस्थित उपयोग है।

यह एक आम बात है कि वर्तमान में कठोर अपराधी परिस्थिति का फायदा उठाते हैं और आतंकवाद का लबादा पहनकर समाज में स्वीकार्यता और सम्मान हासिल करना चाहते है, क्योंकि आतंकवाद से प्रभावित देश के विभिन्न हिस्सों में, एक आतंकवादी को अक्सर एक समुदाय व दुर्भाग्य से गुमराह युवकों द्वारा भी नायक के रूप में पेश किया जाता है। जैसा कि आरंभ में बताया गया है, ''आतंकवाद'को सटीक रूप से परिभाषित करना संभव नहीं है।''

कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य परिभाषा पर पहुंचने का पहला प्रयास राष्ट्र संघ के तहत किया गया था, लेकिन 1937 में कनवेंशन द्वारा तैयार की गई परिभाषा कभी अस्तित्व में नहीं आई। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशाों के पास अभी भी स्पष्ट रूप से कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है, जो कभी कभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद के रूप में सामने आती है। हालांकि आतंकवाद पर एकल व्यापक

सम्मेलन के लिए शब्दावली सर्वसम्मति आवश्यक होगी, जिसका कुछ देश वर्तमान 12 टुकडे-टुकडे सम्मेलनों और प्रोटोकॉल के स्थान पर समर्थन करते हैं। आतंकवाद की परिभाषा पर सहमति की कमी सार्थक अंतरराष्ट्रीय जवाबी कदमों में एक बडी बाधा रही है। निंदकों ने अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की सराहना की है कि एक राज्य का ''आतंकवादी दूसरे राज्य का ''स्वतंत्रता सेनानी है और वह भी सत्ता में बैठे लोगों के आशीर्वाद से। अपराध एक अत्यधिक राजनीतिकरण वाला मामला बन गया और भ्रष्टाचार तथा हिंसा से युक्त लालच बेईमानी और पाखंड को सर्वोच्च बना दिया, सार्वजनिक जीवन में दोहरेपन और धोखेबाज व्यवहार द्वारा समर्थित, सार्वजनिक शक्ति को इकट्ठा करने और हडपने के लिए, व्यक्तिगत उन्नति को कायम रखने के लिए, सामान्य भलाई का दिखावा करते है। यदि आतंकवाद को कडाई से परिभाषित किया जाए। यदि आतंकवाद को गैर-सैन्य लक्ष्यों पर हमलों के संदर्भ में सख्ती से परिभाषित किया जाता है तो सैन्य प्रतिष्ठानों और सैनिकों के आवासों पर हुए कई हमलों को आंकडों में शामिल नहीं किया जा सकता है। गार्डियन परिभाषा संबंधी गांठ को तोडने के लिए, आतंकवाद विशेषज्ञ ए.श्मिड ने 1992 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र अपराध शाखा के लिए एक रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि प्रस्थान के समय पर ''युद्ध अपराध के गठन पर मौजूदा सहमति के रूप में लेना एक अच्छा विचार हो सकता है। यदि युद्ध अपराधों का मूल -

नागरिकों पर जानबूझकर किए गए हमले, बंधक बनाना और कैदियों की हत्या - को शांतिकाल तक बढाया जाता है तो हम आतंकवाद के कृत्यों को वास्तव में ''युद्ध अपराधों के शांतिकाल समकक्ष के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

राष्ट्र संघ सम्मेलन (1937)

"किसी राज्य के विरूद्ध निर्देशित सभी आपराधिक कृत्यों का उद्देश्य विशेष व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह या आम जनता के मन में आतंक की स्थिति पैदा करना है।"

(जीए आरईएस 51/210 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपाय)

"1. आतंकवाद के सभी कृत्यों, तरीकों और प्रथाओं को आपराधिक और अनुचित बताते हुए कडी निंदा करता है, चाहे यह अपराध कहीं भी और किसी ने भी किया हो,

2. यह दोहराता है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आम जनता, व्यक्तियों के समूह या विशेष व्यक्तियों में आतंक की स्थिति को भडकाने इरादे या इरादे से किए गए आपराधिक कृत्य किसी भी परिस्थिति में अनुचित है, चाहे राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक, नस्लीय, जातीय विचार कुछ

भी हों।, धार्मिक या अन्य प्रकृति जिसे उन्हें उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।''

3. संयुक्त राष्ट्र अपराध शाखा को ए.पी. श्मिड द्वारा प्रस्तावित संक्षिप्त कानूनी परिभाषा (1992)

आतंकवाद का कृत्य - शांतिकाल में युद्ध अपराध के बराबर।

4. शैक्षणिक सर्वसम्मत परिभाषा ''आतंकवाद बार-बार की जाने वाली हिंसक कृत्यों की चिंता-प्रेरक है, जो अज्ञात, आपराधिक या राजनीतिक कारणों से (अर्ध-) गुप्त व्यक्ति, समूह या राज्य अभिनेताओं द्वारा नियोजित होती है, जिससे हत्या के विपरीत हिंसा के प्रत्यक्ष लक्ष्य होते हैं मुख्य लक्ष्य नहीं। हिंसा के तत्काल मानव पीडितों को आम तौर पर लक्षित आबादी से यादृच्छिक रूप से (अवसर के लक्ष्य) या चुनिंदा (प्रतिनिधि या प्रतीकात्मक लक्ष्य) चुना जाता है, और आतंकवादी (संगठन) के बीच संदेश जनरेटर, खतरा और हिंसा आधारित संचार प्रक्रियाओं के रूप में कार्य करते हैं। (संकटग्रस्त) पीडितों और मुख्य लक्ष्यों का उपयोग मुख्य लक्ष्य (दर्शकों) को हेरफेर करने के लिए किया जाता है। इसे आतंक का लक्ष्य, मांगों के लक्ष्य या ध्यान के लक्ष्य में

बदल दिया जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या धमकी, दबाव या प्रचार मुख्य रूप से चाहा गया है"(श्मिट, 1988)

परिभाषाएं

आतंकवाद की प्रकृति को परिभाषित करना कठिन है। आतकंवाद के कृत्य पीडितों (जो हिंसा से आहत हैं और जो डर से प्रभावित है) के साथ-साथ अभ्यास करने वालों में भी भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। यहां तक कि अमेरिकी सरकार भी किसी एक परिभाषा पर सहमत नहीं हो सकती। पुरानी कहावत '' एक आदमी का आतंकवादी दूसरे आदमी का स्वतंत्रता सेनानी होता है अभी भी जीवित है। संघीय जांच ब्यूरों द्वारा उपयोग की जाने वाली आतंकवाद की कई परिभाषाएं नीचे सूचीबद्ध हैः

आतंकवाद राजनैतिक परिवर्तन को लाने के लिए बल का धमकी भरा प्रयोग। ब्रायन जेनकिंस

जब निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है तो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बल का नाजायज उपयोग आतंकवाद है। वाल्टर लाक्यूर

आतंकवाद राजनैतिक या सामरिक लाभ प्राप्त करने के लिए आम तौर पर दर्शकों को प्रभावित करने के लिए, भय और धमकी पैदा करने के लिए पूर्व निर्धारित, जान बूझकर, व्यवस्थित हत्या, तबाही और निर्दोषों को धमकी देना है। '' जेम्स ए.पोलेंड

आतंकवाद राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों या संपत्ति के खिलाफ हिंसा का गैर कानूनी उपयोग या धमकी है। इसका उद्देश्य आमतौर पर सरकार, व्यक्तियों या समूहों को डराना या मजबूर करना या उनके व्यवहार या राजनीति को संशोधित करना है। ''उपराष्ट्रपति की टास्क फोर्स, 1986

आतंकवाद किसी सरकार, नागरिक आबादी या उसके किसी भी वर्ग को राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढाने के लिए डराने या मजबूर करने के लिए व्यक्तियों या संपत्ति के खिलाफ बल या हिंसा का गैर कानूनी उपयोग है।'' एफबीआई परिभाषा

आतंकवाद बढती अराजकता और हिंसा के पंथ की अभिव्यक्तियों में से एक है। हिंसा और अपराध एक स्थापित व्यवस्था के लिए खतरा है और एक सभ्य और व्यवस्थित समाज के खिलाफ विद्रोह है। हालांकि ''आतंकवाद को टाडा के तहत अलग से परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन धारा 3 में ही उक्त प्रावधान को लागू करने में अपनाई गई सर्व समावेशी और व्यापक वाक्यांशविज्ञान द्वारा इसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त संकेत है, जो परिभाषा और दंडात्मक प्रावधान के रूप में दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है, ''आतंकवाद की सटीक परिभाषा या यह बताना संभव नहीं है कि ''आतंकवाद क्या है। इसे हिंसा के सर्वाधिक होने पर उपयोग के रूप में वर्णित करना संभव हो सकता है जब इसका सबसे

महत्वपूर्ण परिणाम न केवल पीडित की शारीरिक और मानसिक क्षति हो, बल्कि इसका पूरे समाज पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडता है या उत्पन्न होने की संभावना है। इस प्रक्रिया में मृत्यु, चोट, या संपत्ति का विनाश या यहां तक कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो सकता है, लेकिन इच्छित आतंकवादी गतिविधि की सीमा और पहुंच देश के सामान्य दंड कानून के तहत दंडित होने में सक्षम एक सामान्य अपराध के प्रभाव से भी परे है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को भयभीत करना या समाज के सद्भाव को बिगाडना या लोगों और समाज को ''आतंकित करना है, और न केवल सीधे तौर पर जिन पर हमला किया गया है इस दृष्टिकोण से कि समाज की समगति, शांति और भय और असुरक्षा की भावना पैदा करना है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अपीलें बिना योग्यता के है और खारिज करने योग्य है, जैसा कि हम निर्देशित करते है।

एन.जे. अपीले खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गार्गी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी

अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।